संख्या ए-45011/56/2011-प्रशा.-I
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
डा. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः ~~सितंबर~~, 2012
01 अक्टूबर

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिनांक 23.08.2012 को अपराह्न 04:30 बजे कार्यालय परिषद् की सम्मेलन कक्ष में हुई बैठक का कार्यवृत।

*****

मुझे श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2012 को 04:30 बजे हुई कार्यालय परिषद् की बैठक के कार्यवृत की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(आशुतोष आनंद)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

1. निदेशक (केजी)
2. उप सचिव (बीकेएम)
3. अवर सचिव (जेएसजी)
4. अवर सचिव एवं कल्याण अधिकारी (एलकेटी)
5. श्रीमती सुलोचना राजू, सहायक, प्रशासन-II
6. श्री आर.एस. बिष्ट, प्रवर श्रेणी लिपिक, रोकड़ अनुभाग
7. श्री अरुण कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक
8. अनुभाग अधिकारी (सामान्य)/अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)
9. अपर सचिव के निजी सचिव
10. ई-गवर्नेंस सेल, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (Misc Link)
11. गार्ड फाइल

दिनांक 23.08.2012 को 04:30 बजे अपराह्न सम्मेलन कक्ष में हुई कार्यालय परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

क्र.सं.	मद	निर्णय
1.	आई.आर.सी.टी.सी. कैंटीन में सस्ती दर पर खाद्य सामान मुहैया कराना।	इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में दिन मे दो बार, सुबह और शाम, रियायती दर पर चाय दी जाएगी और जहां तक सस्ते दमों पर भोजन उपलब्ध कराने का प्रश्न है तो यह निर्णय लिया गया था कि उप सचिव (बीकेएम) की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसमें अवर सचिव एवं कल्याण अधिकारी (एलकेटी) और अवर सचिव (जेपीएस) सदस्य होंगे, आईआरसीटीसी के साथ चर्चा कर विहित क्रिया पद्धति निर्धारित करेगी। इसे प्राथमिकता आधार पर किया जाएगा और समिति आईआरसीटीसी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी और फिर अपर सचिव (अ) आईआरसीटीसी के प्रतिनिधियों के साथ इसे अंतिम रूप देंगे।
2.	रोटेशनल स्थानांतरण नीति	सूचित किया गया कि स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण हेतु पात्र कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा के पश्चात् जारी किए गए हैं। किन्तु संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कियाः- (i) संवेदनशील पदों हेतु पांच वर्ष की पदावधि के स्थान पर तीन वर्ष की पदावधि के पश्चात स्थानांतरण किया जाए; (ii) स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात उनका अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है; (iii) जिस पद पर कर्मी का स्थानांतरण किया जाता है उसके लिए उसके अनुकूल ही उसकी क्षमता भी होनी चाहिए; (iv) रोकड़ एवं प्रशासन अनुभागों में पदस्थापित कर्मियों को एचआरएमएस मॉड्यूल और अन्य कार्य अपेक्षाओं का

		प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अपर सचिव (अ) ने सूचित किया कि संवेदनशील पदों की पहचान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और इसे यथा शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इन पदों पर पद स्थापित कर्मियों के मामलों पर स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा। जहां तक पद हेतु कर्मचारी की क्षमता का प्रश्न है यह आश्वस्त किया गया कि कर्मचारियों के पदस्थापन पर निर्णय लेते समय इस पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि शुरूआत में टीसीएस से एक व्यक्ति रोकड़ एवं प्रशासन अनुभागों में और जहां ऐसी सहायता अपेक्षित हो वहां पदस्थापित कर्मियों को सहायता एवं मार्ग-निर्देशन हेतु सप्ताह में एक बार उपलब्ध होगा।
3.	रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति	सूचित किया गया कि रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा कर्मचारी उपलब्ध कराने का मामला डीओपीटी तथा अन्य संवर्ग प्राधिकारियों के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया है। संघ के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:- (i) जेस्टेटनर ऑपरेटर और अभीक्षक के कार्य हेतु नियमित एमटीएस कर्मचारी की नियुक्ति; (ii) पुस्तकालय की रिक्तियां भरी जाएं। जहां तक जेस्टेटनर ऑपरेटर और अभीक्षक के कार्य हेतु नियमित एमटीएस कर्मचारी की नियुक्ति का प्रश्न है यह निर्णय लिया गया कि इन पदों के संबंध में परिपत्र जारी किया जाएगा और इच्छुक कर्मचारियों के नामों पर इन पदों के लिए विचार किया जाएगा। जहां तक पुस्तकालय में रिक्तियों का प्रश्न है, इन

		पदों को भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाएगा।
4.	हितकारी निधि की व्यवस्था	एक हितकारी निधि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। सूचित किया गया कि हितकारी निधि में प्रति कर्मचारी अंशदान 20 रुपए प्रति वर्ष है और सरकार का अंशदान 1 रुपया प्रति स्वीकृत पद प्रति वर्ष है। यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि यह अंशदान बहुत कम है तथापि, निधि की स्थापना की जाए और अन्य मंत्रालयों/विभागों में विद्यमान व्यवहारों के मद्देनजर अंशदान में आवश्यक वृद्धि पर बाद में विचार किया जा सकता है।
5.	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति	सूचित किया गया कि अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के मामलों पर डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जा रहा है। तथापि, इस मामले को उन अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया जाएगा जहां ऐसी नियुक्तियां की गई हैं और ऐसी क्रिया पद्धति तैयार की जाएगी ताकि मंत्रालय में भी ऐसी नियुक्तियां की जा सकें।
6.	कार्यालय परिसर में सी.जी.एच.एस. की सुविधा	यह महसूस किया गया कि शास्त्री भवन में सीजीएचएस औषधालय की बड़ी आवश्यकता है और अपर सचिव ने सूचित किया कि वह इस मामले को अपर सचिव एवं महानिदेशक, सीजीएचएस, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उठा रहे हैं।
7.	ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. समय से भरा जाना	निदेशक (केजी) ने सूचित किया कि उन्होंने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के एसीआर/एपीएआर की स्थिति की समीक्षा की है और जहां एसीआर अप्राप्त है वहां संबंधित कर्मचारियों को अपना स्वमूल्यांकन रिपोर्टिंग/समीक्षा करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उनकी एसीआर/एपीएआर डोजियर में एनआरसी लगा दिया जाएगा। सतर्कता अनुभाग सभी कर्मचारियों को एक परिपत्र जारी करेगा जिसमें उनसे कहा जाएगा कि अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को अपना स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए इसकी एक प्रति सतर्कता अनुभाग में भी जमा करें। सतर्कता अनुभाग कर्मचारियों का एसीआर/एपीएआर

		समय पर लिखने हेतु रिपोर्टिंग/समीक्षा करने वाले अधिकारी के साथ मामले का पर्यवेक्षण करेगा और इस पर नजर रखेगा।
8.	कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करना	सूचित किया गया कि कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार और परिचालित की गई है।
9.	अवर सचिव द्वारा नियम विरूद्ध वेतन रोकना	निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है और आगे चर्चा करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि स्टाफ काउंसिल के लिए व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। अत: इसे हटाया जा सकता है।
10.	कार्यालय परिषद् के लिए स्थान	उप सचिव (बीकेएम) को इस मामले को देखने और अतिरिक्त स्थान के आबंटन हेतु सीपीडब्ल्यूडी के साथ उठाने के लिए कहा गया ताकि कार्यालय परिषद् को स्थान उपलब्ध कराया जा सके।
11.	मनोविनोद क्लब को फिर से चालू करना	मनोविनोद क्लब की पुन: समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में श्री चरणजीत सिंह बिन्द्रा, इस मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी जो मनोविनोद क्लब का कार्य देख रहे थे से पुराने अभिलेखों का पता लगाने के लिए संपर्क किया गया। श्री बिन्द्रा एक-दो दिनों में मंत्रालय में आएंगे और उसके बाद इस मामले पर आगे कार्यवाही की जाएगी।
12.	कार्यालय परिषद् की नियमित बैठक कराना	अपर सचिव ने निदेश दिया कि कार्यालय परिषद् की बैठक नियमित अर्थात् त्रैमासिक आधार पर की जाए।
13.	मंत्रालय में प्र.श्रे.लि. स्तर तक के कर्मचारियों को बैग और तौलिया देना	प्रवर श्रेणी लिपिक के स्तर तक के कर्मचारियों को बैग और तौलियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
14.	कल्याण अनुभाग का पुनर्गठन	अन्य मंत्रालयों में कल्याण अनुभाग के कार्यों का अध्ययन करने और उनके संरचना के आधार पर कल्याण अनुभाग में पदों के सृजन का प्रस्ताव चलाने का निर्णय लिया गया।